न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–52/2010
CIS NO. TS-205/2019

सिलवेस्टर तिर्की.....वादी

बनाम

बलमान टिना टिग्गा उर्फ कुसुम देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
06.06.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 11.02.2021 अंतर्गत आदेश 13 नियम 1 दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं धारा 74 एवं 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 11.02.2021 में कहा गया है कि वादी की ओर से निर्वाचक संशोधन सूची वर्ष 2000 सिकटा विधान सभा मौजा–रामपुर की सच्ची प्रतिलिपि, सिकटा विधान सभा का गहन पुननिरीक्षण वर्ष 1995 मौजा–रामपुर की निर्वाचक सूची की सच्ची प्रतिलिपि तथा अंचल मैनाटाँड द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिनांक 14.02.2001 तथा उच्च विद्यालय रामपुर के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी स्थानांनतरण प्रमाण पत्र दिनांक 16.05.2010 की मूल प्रति सूची के साथ दाखिल की गयी है। प्रस्तुत वाद में वर्णित कागजात उचित निर्णय हेतु आवश्यक कागजात है। कागजात लोक अभिलेख है। जो लोक पदाधिकारी द्वारा अपने लोक कर्तव्य का पालन करते हुये जारी किये गये है। अतः इन्हें साक्ष्य में ग्रहण करने के लिए किसी औपचारिक साक्षी से साबित करने की आवश्यकता नही है। अगर वर्णित कागजात को स्वीकार नही किया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वह न्याय से वंचित हो जायेगा। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि कागजात को दाखिल करने में हुये विलंभ को माफ करते हुये कागजात को प्रदर्श अंकित करने का आदेश देने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के द्वारा दाखिल आवेदन का दिनांक 04.03.2021 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रस्तुत वाद 12 साल पूर्व का है जो विगत 2 वर्षो से बहस हेतु आ रहा है। प्रतिवादी का बहस समाप्त हो चुका है। वादी 6 माह से बहस कर रहे है वादी	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–52/2010</u>

<u>CIS NO. TS-205/2019</u>

सिलवेस्टर तिर्की.....वादी

बनाम

बलमान टिना टिग्गा उर्फ कुसुम देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 06.06.2023	के द्वारा बहस को टालने के लिए प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया गया है जो खारिज योग्य है। आदेश 13 नियम 01 में स्पष्ट प्रावधान है कि पक्षकार विवाद्यको के परिनिर्धारण के समय या उसके पहले सभी दस्तावेजी साक्ष्य के मूल पेश करेगें ताकि विचारण किया जा सकेंगें। दस्तावेज वाद–बिन्दु निर्धारण के समय प्रस्तुत नही किये गये। इसके लिए स्पष्ट यथेष्ट कारण देना होगा। अतः वादी का आवेदन खारिज योग्य बताया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का अंतिम रूप से न्याय निर्णयन किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादी द्वारा दाखिल दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आना प्रतीत होता है परंतु वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज समय से दाखिल नही किये गये है तथा वादी द्वारा कोई उपयुक्त कारण भी दर्शित नही किया है कि किस कारण प्रस्तुत दस्तावेज समय से दाखिल नही किये गये फिर भी न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन मो0–1500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करे तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि आगामी तिथि को बहस हेतु तैयार आवें। आगामी दिनांक 20.06.2023 वास्ते बहस हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	